पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771–2262802 (अका.) 0771–2262540 (कुलसचिव) फैक्स –0771–2262811,2262607

क्रमांक–7740/अका./शोध/2012 रायपुर, दिनांक 10. 07. 2012

– अधिसूचना –

अध्यादेश क्रमांक–45 की कंडिका–4 के प्रावधानानुसार विभागीय शोध समिति (DRC) द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के आरक्षण नियमों का पालन निम्नानुसार सुनिश्चित किया जाना अधिसूचित किया जाता है :–

1. शोध निर्देशकों को एक इकाई माना जाये क्योंकि शोध निर्देशक को एक समय में अधिकतम 6 (छः) छात्रों को पी–एच.डी. कराने की पात्रता होती है।
2. शोध निर्देश्क के रोस्टर बिंदु विभागीय शोध समिति (DRC) के माध्यम से शोध केन्द्रों में एवं शोध उपाधि समिति (RDC) के माध्यम से अकादमिक विभाग द्वारा पालन किया जाय।
3. यदि संबंधित आरक्षित श्रेणी के छात्र नहीं मिले तो क्रमशः आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत परिवर्तन कर दिया जाये (अनुसूचित जनजाति – अनुसूचित जाति – अन्य पिछड़ा वर्ग) किन्तु जिस आरक्षित श्रेणी में परिवर्तन किया गया है उस श्रेणी के छात्र को आगामी चयन प्रक्रिया में प्रवेश दिया जाय।
4. यदि अगली चयन प्रक्रिया में भी छात्र न मिले तो आरक्षित रिक्त स्थान को अनुसूचित जनजाति– अनुसूचित जाति–अन्य पिछड़ा वर्ग–सामान्य में परिवर्तन कर लिया जाय।
5. यदि उपलब्ध आरक्षित वर्ग के छात्र को शोध के लिये शोध निर्देशक द्वारा दो बार सहमति नहीं दी जाती है तो शोध निर्देशक की पात्रता की निरंतरता हेतु विश्वविद्यालय प्रशासन स्वतंत्र होगा।
6. आरक्षण नियमों के पालन की जिम्मेदारी शोध निर्देशक एवं विभागीय शोध समिति की होगी।
7. सभी श्रेणियों में JRF-NET के छात्रों को प्राथमिकता दी जाये।

आदेशानुसार,

(हस्ताक्षर)

कुलसचिव

पृ. क्रमांक–7741/अका./शोध/2012 रायपुर, दिनांक 10 जुलाई, 2012

प्रतिलिपि :–

1. अध्यक्ष/प्राचार्य, समस्त शोध केन्द्रों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।
2. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ अग्रेषित।

(हस्ताक्षर) 10/7/12

प्रभारी अधिकारी (अका.)

(हस्ताक्षर) 10.7.12